

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

कमांक एफ.5(31)पंरावि/विधि/संशक्तिकरण/सं.आयुक्त/2011/ 1302 जयपुर, दिनांक:- 2-8-2011

::अधिसूचना::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 154(4)(ग) के अन्तर्गत 5.00 लाख से 10.00 लाख तक की आबादी भूमि के विक्रय/नीलामी की पुष्टि किये जाने हेतु संभागीय आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। जिन भूखण्डों की राशि 10.00 लाख से अधिक होगी उनकी नीलामी/विक्रय की पुष्टि हेतु प्रकरण पूर्ववत् राज्य सरकार को प्रेषित किये जावेंगे व उनमें विक्रय/नीलामी की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, ~~अति. मुख्य~~ सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
12. आदेश पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त